उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या- 3/2021/415/77-6-21-5(एम)/2017 टी.सी. 1(ए)

लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2021

अधिसूचना

कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2860/77-6-2018-5(एम)/17टी.सी.1, दिनांक 20.07.2018 के द्वारा निर्गत "निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना" (यथा संशोधित) के प्रस्तर-2.5 में निम्नवत् संशोधन करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तर संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2.5	**2.5 निजी विकासकर्ता** 'निजी विकासकर्ता' का अभिप्राय ऐसे औद्योगिक संगठन/उद्यम से है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था-एस.पी.वी (Special Purpose Vehicle) (अथवा इसी प्रकार के समान/ प्रतिस्थापन अधिनियम/विधि, जो नीति की वैधता अवधि में समय-समय पर प्रचलित हों) के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा औद्योगिक पार्क/आस्थान की स्थापना हेतु गठित किया गया हो।	**2.5 निजी विकासकर्ता** 'निजी विकासकर्ता' का अभिप्राय ऐसे औद्योगिक संगठन/उद्यम से है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था-एस.पी.वी (Special Purpose Vehicle) (अथवा इसी प्रकार के समान/प्रतिस्थापन अधिनियम/विधि, जो नीति की वैधता अवधि में समय-समय पर प्रचलित हों) के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा औद्योगिक पार्क/आस्थान की स्थापना हेतु गठित किया गया हो। यदि प्रस्तावक कम्पनी/ भागीदारी/SPV के उद्देश्यों में विधिवत् संशोधन कर औद्योगिक पार्क/आस्थान की स्थापना के उद्देश्य को सम्मिलित कर लिया गया है तो ऐसी कम्पनी/भागीदारी /SPV को नीति के अन्तर्गत पात्र माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2860/77-6-2018-5(एम)/17टी.सी.1, दिनांक 20.07.2018 के द्वारा निर्गत "निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना" (यथा संशोधित) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 20-07-2018 (यथा संशोधित) की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत् रहेंगी।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2021/415(1)/77-6-21-5(एम)/2017 टी.सी. 1(ए)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति को अपनी वेबसाइड पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
11. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in